# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर
# राजस्व केम्प कोर्ट ग्रां. पं. झाड़ला

पीठासीन अधिकारी :– सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

मुकदमा नं. 41/2017

1. हुसैन खां पुत्र बोदू खां, जाति मुसलमान, निवासी भोजपुरा, तह. फागी, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरारहक इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

:: निर्णय :: दिनांक :– 19.05.2017

आज वाद–पत्र केम्प कोर्ट ग्रां. पं. झाड़ला में पेश हुआ जिसके संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खतोनी संख्या 298 के आराजी खसरा नं. 359 भूमि वाके ग्राम भोजपुरा, तह. फागी, जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें वादी राजस्व रिकार्ड अनुसार खातेदार काश्तकार है। तथा अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराता चला आ रहा है। विवादग्रस्त आराजी के वादी के पिता का नाम बोदू खां ही है। रिकार्ड में हुसैन खां पुत्र इमामबख्श गलत दर्ज हो गया है वादी के पिता का नाम बोदू खां की जगह इमामबख्श विक्रय पत्र में गलत अंकन हो गया है इसलिये न्यायहित में हुसैन खां पुत्र इमामबख्श की जगह हुसैन खां पुत्र बोदू खां राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जाना आवश्यक है। हुसैन खां पुत्र बोदू खां व

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी, फागी
सत्यमेव जयते
जिला-जयपुर

हुसैन खां पुत्र इमामबख्श एक ही व्यक्ति है इस नाम के अलावा इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति इस गाँव में नही है। बल्कि अन्य आराजी ग्राम भोजपुरा में वादी का नाम हुसैन खां पुत्र बोदू खां नाम दर्ज है एवं वादी का राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र से पूर्णतया सिद्ध होता है कि वादी के पिता का नाम बोदू खां है इसलिये वादी के पिता का नाम हुसैन खां पुत्र इमामबख्श की जगह हुसैन खां पुत्र बोदू खां राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है। इसलिये वादी उक्त आराजीयात की घोषणा करवाने एवं दुरस्ती इन्द्राज करवाने का अधिकारी है। वादी ने उक्त आराजीयात को काफी पैसा खर्च कर समतल व उपजाऊ बना लिया है। उक्त आराजीयात के वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। एवं शान्ति पूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 डिक्री किया जाकर घोषणा इस अमर की फरमायी जावें कि वाद पत्र में वर्णित अनुसार आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है एवं राजस्व रिकार्ड में इमामबख्श के स्थान पर बोदू खां किया जाकर पालना बाबत् तहसीलदार फागी को आदेश फरमाय जावें। दीगर अनुतोष जो मुफीद वादी को अता फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी ने केम्प कोर्ट झाड़ला में जवाब दावा पेश किया। जवाब दावा शामिल मिसल किया गया प्रतिवादी ने जवाब दावा में बताया कि वादी अपने वाद–पत्र को स्वयं सिद्ध करे एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर अपने पिता का नाम इमामबख्श के स्थान पर बोदू खां करवाना चाहता है प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही है। वादी की ओर से वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज जमाबंदी, मतदाता पहचान पत्र, ग्रामपंचायत का प्रमाण पत्र, परिवार राशनकार्ड एंव स्वयं का शपथ पत्र पेश किया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला–जयपुर

वाद–पत्र, जवाब दावा बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी ने वाद घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर अंकित किया है ग्राम भोजपुरा के खाता संख्या 298 के खसरा नम्बर 359 में वादी के पिता का नाम इमामबख्श गलत दर्ज हो गया जबकि सही नाम बोदू खां है। वादी के पिता का नाम विक्रय पत्र में सहवन से बोदू खां की जगह इमामबख्श दर्ज हो जाने के कारण जमाबन्दी में नाम गलत दर्ज हो गया। अन्य आराजी में वादी के पिता का नाम बोदू खां ही रिकार्ड में दर्ज है सरकार पैरोकार के जवाब में भी वादी के पिता का नाम गलत होना एवं दुरस्ती योग्य होना स्वीकार किया है वादी के पिता का नाम मतदाता पहचान पत्र व राशनकार्ड में भी हुसैन खां पुत्र बोदू खां सही नाम अंकित है ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र एंव स्वंय का शपथ पत्र में भी हुसैन खां पुत्र बोदू खां अंकित है उपरोक्त के आलोक में लोक अदालत की भावना से वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर खतोनी संख्या 298 के आराजी खसरा नं. 359 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि वाके ग्राम भोजपुरा, तह. फागी जिला जयपुर में स्थित भूमि में दर्ज रिकार्ड हिस्सेनुसार हुसैन खां पुत्र बोदू खां को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं राजस्व रिकार्ड में हुसैन खां पुत्र इमामबख्श के स्थान पर हुसैन खां पुत्र बोदू खां दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है निर्णय मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो पालना बाबत् तहसीलदार फागी को तहरीर जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2017 को लोक अदालत ग्रा. पं. झाड़ला में खुले आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)
फागी (जयपुर)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अदालतः– उपखण्ड अधिकारी मुकाम फागी जिला जयपुर।

राजस्व केम्प कोर्ट झाड़ला

इजलासः– सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

हुसैन खां पुत्र बोदू खां,
जाति मुसलमान, बनाम तहसीलदार
निवासी भोजपुरा, तह.
फागी, जिला जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी, फागी जि...जयपुर

मुकदमा नं. 41/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनेफिसाल कतई रूबरू सावन कुमार चायल आर.ए.एस. ने हाजिरी स्वयं वादी मिनजानिब मुदई रूबरू सरकारी पैरोकार प्रतिवादी मिन जानिब मुद्दयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर खतोनी संख्या 298 के आराजी खसरा नं. 359 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि वाके ग्राम भोजपुरा, तह. फागी जिला जयपुर में स्थित भूमि में दर्ज रिकार्ड हिस्सेनुसार हुसैन खां पुत्र बोदू खां को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं राजस्व रिकार्ड में हुसैन खां पुत्र इमामबख्श के स्थान पर हुसैन खां पुत्र बोदू खां दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है ।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

निज........................................मुबलिग........................................बाबत्........................................

.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह........................................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक........................................का अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.05.2017 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, फागी जि.-जयपुर

दस्तखत..................
उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)
ओहदा..................

मुहर

| मुदई | रूपये | पैसे | मुददयलह | रूपये | पैस |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जा दावा | | | स्टाम्प अर्जा दावा | | |
| स्टाम्प वकालतनाम | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | स्टाम्प वजह सबूत | | |
| मेहनताना वकील | | | मेहनताना वकील | | |
| खर्चा गवाहान | Nil | | खर्चा गवाहान | Nil | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| मुतफरिक | | | मुतफरिक | | |
| मिजान | | | मिजान | | |

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)